रमेश

बनाम

पुलिस के निरीक्षक के माध्यम से राज्य

(2010 की आपराधिक अपील संख्या 592)

निर्णय दिनांक अगस्त 1,2014

[दीपक मिश्रा और वी. गोपाल गौड़ा, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860-धारा 376, 302 और 201-बलात्कार और हत्या-अभियोजन मामला जिसमें आरोपी ने 8 वर्ष की एक लडकी के साथ बलात्कार किया जिससे न्यूरोजेनिक सदमे के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर, अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 376 ,302 और 201 में दोषी ठहराया गया और तदनुसार सजा दी गइ- औचित्य निर्धारित- अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है- प्रारंभिक एफ.आई.आर. में अभियुक्त के नाम का उल्लेख न करना अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं है-अंतिम बार देखा गया सिद्धांत साबित हआ है-अभियुक्त का इकबालिया बयान भी सम्पुष्ट हाेता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्त के दोषी होने की ओर इशारा करता है

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, अपीलार्थी ने 8 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया जिसके कारण न्यूरोजेनिक सदमे से लड़की की मौत हो गई। एफ.आई.आर. दर्ज की गई। अनुसंधान किया गया । अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया। अपीलार्थी ने स्वेच्छा से इकबालिया बयान दिया और घटना के समय बच्चे द्वारा पहनी गई शॉल बरामद की गई। के आधार पर न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर आई.पी.सी. की धारा 376,302 और 201 में दोषी ठहराया और तदनुसार

सजा सुनाई गई,सभी सजाएं एक साथ चलनी थीं। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा। इसलिए, यह अपील की गई

जिन प्रश्नों पर यहां विचार किया जाना था कि क्या एफ.आई.आर. में अभियुक्त के नाम की अनुपस्थिति अभियुक्त की बेगुनाही की ओर इशारा करती है और उसे बरी करने का हकदार बनाती है; क्या यह मामला अंतिम बार देखे गए सिद्धांत को लागू करने के लिए एक उपयुक्त मामला है; और क्या वर्तमान मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य इंगित करते हैं और क्या ये साक्ष्य अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं?

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया-

1. उच्च न्यायालय मृत बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के आरोप में दोषी ठहराये जाने के सत्र न्यायाधीश के निर्णय को बरकरार रखने में सही था। इसलिए, आई.पी.सी. की धारा 376,302 और 201 के आरोप के तहत उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा जाता है। धारा 376 के तहत आजीवन कारावास और 5000/- रुपये का जुर्माना एवं डिफ़ॉल्ट पर एक वर्ष का कठोर कारावास, धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5000/- रुपये का जुर्माना एवं डिफ़ॉल्ट पर एक वर्ष का कठोर कारावास और आईपीसी की धारा धारा 201 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/- रूपये का जुर्माना तथा डिफ़ॉल्ट पर छह माह का कठोर कारावास सुनिश्चित किया गया है। सभी सजाएं एक साथ चलनी हैं। [पैरा 20] [977-बी-डी]

2.1 . अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा कहा गया था कि उसका नाम पहली बार एफ.आई.आर. में नहीं आया था और उनके नाम का उल्लेख केवल पहले संस्करण का सुधार था। चुनौतीग्रस्त निर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा इसका उल्लेख किया गया है कि शुरू में एफ़.आई.आर. में अभियुक्त के नाम का उल्लेख नहीं था और वहीं दूसरी

ओर, पीडब्लू-1, मृतक बच्चे के पिता को अपने एक रिश्तेदार पर अपराध किये जाने का संदेह था। हालांकि बाद में इसका खुलासा हुआ कि यह आरोपी था जिसने यह कृत्य किया था और पुलिस वास्तव में सही रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। अभियुक्त की संलिप्तता की पुष्टि अभियुक्त की स्वीकारोक्ति के आधार पर मृतक के शॉल की जब्ती जो गवाहों की उपस्थिति में की गई थी के द्वारा हुई। हाईकोर्ट का यह निष्कर्ष् कि प्रारंभिक एफ.आई.आर. में नाम का उल्लेख नहीं होने से वह अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है यह सही था और इसलिए, अपीलार्थी का निवेदन कि उसके बाद से एफ.आई.आर. में नाम नहीं आया, इसलिये वह बरी होने का हकदार है, यह नहीं माना जा सकता। [पैरा 15] [971-एफ-एच; 973-ई-एफ]

जितेंद्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य 2012 (4) एससीआर 408 : (2012) 6 एस. सी. सी. 204-संदर्भित किया गया।

2.2. अभियोजन पक्ष का मामला था कि आरोपी की दादी पी. डब्ल्यू. 3 ने बच्चे को यह देखने के लिए भेजा था कि क्या आटा पिस चुका था। हालाँकि, जब बच्चा कुछ समय के लिए वापस नहीं आया, तो पीडब्लू 3 घर चली गई। इस मोड़ पर, पीडब्लू 5 और पीडब्लू 12 जो कि अभियुक्त के अधीन कर्मचारी थे उनके माध्यम से सबूत है कि अभियुक्त बच्चे को पिछवाड़े में ले गया और कि उसने असामान्य रूप से पीडब्लू 12 को दोपहर के भोजन के लिए जाने की अनुमति दी। मृत बच्चा तभी से लापता था और अगले दिन सुबह मृत पाया गया। इसके अलावा, आरोपी 8 साल के बच्चे को पिछवाड़े में ले जाने की क्या आवश्यकता थी इसकी व्याख्या नहीं कर सका। दूसरी तरफ, स्वयं उसने अपना अपराध कबूल कर लिया जिसकी पुष्टि गवाहों की उपस्थिति में स्वयं अभियुक्त के बताये जाने पर एक शॉल की बरामदगी द्वारा की गई थी। इसलिये न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत चलन में आता है कि अंतिम देखा गया सिद्धांत वहां चलन में आता है जहाँ वह समय जब अभियुक्त और मृतक को आखिरी बार

जीवित देखा गया था और जब मृत मृतक पाया जाता है वहां समय का अंतर इतना छोटा है कि अभियुक्त के अलावा किसी अन्य के अपराध का लेखक होने की सम्भावना असंभव हो जाती है। उच्च न्यायालय आरोपी को मृतक बच्चे के बलात्कार और हत्या के दोष को उचित माने जाने में सही था। यह एक एक उपयुक्त मामला है जिसमें अंतिम देखे जाने का सिद्धांत सही प्रकार से स्थापित होता है। [पैरा 16] [973-एफ-एच; 974-बी-सी; 975 ए-सी]

कुसुमा अंकमा राव बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य 2008 (10) एससीआर 89: (2008) 13 एस. सी. सी. 257-संदर्भित दिया गया

2.3 घटना की तारीख को, रात्रि लगभग 10 बजेः 00 पी.एम. पर अभियुक्त ने असामान्य रूप से विषम समय पर मिल खोली थी। यही बात कपड़ा दुकान के मालिक पीडब्लू 6 जिनकी दुकान मिल के सामने स्थित थी उसने भी देखी और पीडब्लू 7, जो कि रात्रि चौकीदार था उसने भी देखी। दोनों ने इस विचित्र व्यवहार के संबंध में अभियुक्त से सवाल किया था जिस पर उसने उसने जवाब दिया कि चूंकि अगले दिन रमजान है, इसलिए वह आटा पीसने आया था। एक और मजबूत स्थिति पीडब्लू 8 जिसका घर मिल के ठीक पीछे स्थित है उसकी साक्ष्य थी। जब पीडब्लू 8, 10:15 पीएम पर शौच के लिए बाहर आया तो उसने पूछा कि वह क्या कर रहा था। इस पर आरोपित ने जवाब दिया कि वह कचरा फेंक रहा था क्योंकि अगले दिन रमजान है। चूंकि शव अगले दिन कुएँ से मिला इसलिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य के इस इशारे पर, उच्च न्यायालय का यह अर्थ लगाना उचित था कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने शव को मिल में रखा था और लगभग 10:15 पीएम पर शव को कुएं में फेंक दिया [पैरा 17] [975 - डी-जी]

2.4. ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है जो यह साबित करता हो कि अपीलार्थी द्वारा मृतक बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या की गई थी। अभिलेख पर कोई गवाह उपलब्ध नहीं है जिन्होंने अपीलार्थी अपराध करने की साक्ष्य दी हो। लेकिन सभी परिस्थितियाँ इस मामले में अपीलार्थी की ओर अपराध के लेखक होने की ओर इशारा करती हैं। [पैरा 18] [975-एच; 976-ए-बी]

गोविंदा रेड्डी व अन्य बनाम मैसूर राज्य ए. आई. आर 1960 एस. सी. 29 - संदर्भित दिया गया।

2.5. मृत बच्चे के शव की बरामदगी उसी कुएँ से हुई जहाँ पीडब्लू-8 ने आरोपी अपीलार्थी को पिछली रात को कुंए में कुछ फेंकते हुए देखा था और यही अच्छी तरह से एक मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रदान करता है। मृत बच्चे को मिल के पिछवाड़े में ले जाये जाने, उसी समय अपने कर्मचारी को दोपहर के भोजन के लिए भेजने और उसी दिन रात को विषम समय में मिल खोलने का असामान्य व्यवहार अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती है। [पैरा 19] [976 - जी-एच; 977-ए-बी]

राज कुमार सिंह बनाम। राजस्थान राज्य (2013) 5 एससीसी 722; बलदेव सिंह बनाम। हरियाणा राज्य 2008 (16) एससीआर 826: (2008) 14 एस. सी. सी. 768; रघुनाथ बनाम हरियाणा और अन्य 2002 (4) पूरक। एससीआर 130: (2003) 1 एस. सी. सी. 398; 2013 (7) एससीआर 1105: (2013)12 एस.सी.सी.796; रामनरेश और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2012 (3) एससीआर 630: (2012) 4 एससीसी 257; बुधुराम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2012) 11 एस. सी. सी. 588 संदर्भित किये।

संदर्भित

(2013) 5 एस. सी. सी. 722	उल्लेख किया गया	पैरा 6, 11
2008(16)एससीआर 826	उल्लेख किया गया	पैरा 6

2002(4) पूरक एससीआर 130	उल्लेख किया गया	पैरा 6
(2003) 11 एससीसी 488	उल्लेख किया गया	पैरा 6 पैरा 11
2013 (7) एससीआर 1105	उल्लेख किया गया	पैरा 11
2012 (3) एससीआर 630	उल्लेख किया गया	पैरा 11
(2012) 11 एस. सी. सी. 588	उल्लेख किया गया	पैरा 11
2012 (4) एससीआर 408	उल्लेख किया गया	पैरा 15
2008 (10) एससीआर 89	उल्लेख किया गया	पैरा 16
ए आइ आर 1960 एससी 29	उल्लेख किया गया	पैरा 18

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 592/2010

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के सी.आर.एल.ए. (एम.डी.) नं. 3/2007 में दिनांक 19.02.2008 के निर्णय और आदेश से पारित।

अपीलार्थी की ओर से एस. महेंद्रन।

उत्तरदाता की ओर से एम. योगेश कन्ना और वनिता चंद्र के. गिरि

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया-

न्यायमूर्ति वी. गोपाल गौड़ा

1. यह अपील अपीलकर्ता द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा 2007 की आपराधिक अपील (एमडी) संख्या 3 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 19.02.2008 से व्यथित होकर दायर की गई है, जिसमें विभिन्न आधारों और कानूनी तर्कों का आग्रह किया गया है और दोषसिद्धि तथा सजा को रद्द करने तथा उसके खिलाफ लगाये गये आरोपों से उसे दोषमुक्त करने की की प्रार्थना की गई है।

2. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रतिद्वंद्वी कानूनी तर्कों की सराहना करने की दृष्टि से संक्षिप्त तथ्य यहां दिए जा रहे हैं : -

अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 302 और 201 के तहत आरोप लगाया है। अपीलकर्ता ने दोषी नहीं होने का अभिवाक किया है। विपक्षी-अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमा चलाया गया और आरोपों को साबित करने के लिए, उन्होंने 22 साक्षी प्रस्तुत किये और 27 प्रदर्शों और 4 भौतिक वस्तुओं पर भरोसा किया है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में पाई गई दोषपूर्ण परिस्थितियों के संबंध में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता के बयान लिये हैं। विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर कानूनी सबूतों की सराहना करते हुए तथ्यों की खोज की है और आरोपी को दोषी ठहराया है तथा उसे आजीवन कारावास की सजा कहते हुए सुनाई है, कि उसके खिलाफ धारा 376 , 302 और 201 आईपीसी के तहत लगाए गए आरोप साबित हुए थे और उसे आईपीसी की धारा 376 के तहत आजीवन कारावास और साथ में 5000/- रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर एक साल की सश्रम कारावास की सजा दी गई,धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास और 5000/- रुपये का जुर्माना, तथा जुर्माना अदा न करने पर एक साल की सश्रम कारावास की सजा आईपीसी की धारा 201 के तहत और 3 साल का सश्रम कारावास और 1000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया तथा इसका भुगतान न करने पर 6 महीने की सश्रम कारावास की सजा दी गई तथा यह भी कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ दी गई सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

3. अभियोजन पक्ष का केस यह है कि दिनांक 3.11.2005 को लगभग 11.00 बजे, मृतक-सीनी नाबरा, उम्र 8 वर्ष, अपनी दादी (पीडब्लू -3) के साथ अनाज पीसने के लिए अपीलकर्ता की चावल मिल में गई थी। लेकिन जब उन्होंने यह देखा कि मिल का अगला हिस्सा बंद है, तो पीडब्लू-3 ने मृतक-बच्चे को जाकर अपीलकर्ता से मिल का

पिछला हिस्सा खोलने के लिए कहा और उसे खोल दिया गया। तदनुसार, पीडब्लू-3 ने अपीलकर्ता को अनाज सौंप दिया और एक पड़ोसी के घर आ गया। कुछ देर बाद, मृतक-बच्चे ने जूस लेने के लिए पीडब्लू-3 से 2/- रुपये मांगे। तदनुसार, उसने उसे पैसे दे दिये। इसके बाद, मृतक बच्चा चक्की पर गया और अपीलकर्ता से पूछा कि क्या अनाज पीस दिया गया है। उस समय, उसे अपीलकर्ता द्वारा मिल के पीछे की ओर ले जाया गया। चूंकि, मृतक बच्चा वापस नहीं लौटा, पीडब्लू-3 कुछ देर इंतजार करने के बाद घर चला गया। अभियोजन पक्ष का यह आगे का मामला है कि अपीलकर्ता मृत बच्चे को पिछवाड़े में ले गया जिसे मिल के एक कर्मचारी (पीडब्लू -12) ने देखा था। अपीलकर्ता ने पीडब्लू-12 को दोपहर के भोजन के लिए जाने की अनुमति दी और पीडब्लू-12 दोपहर के भोजन के लिए चला गया। फिर, आरोपी ने मृतक बच्ची के साथ बलात्कार किया और न्यूरोजेनिक सदमे के कारण उसकी मृत्यु हो गई। चूंकि, मृत बच्ची वापस नहीं आई, इसलिये पीडब्लू-3 ने उसके पिता (पीडब्लू-1) को सूचित किया। इसके बाद, पीडब्लू-1, पीडब्लू-3 और अन्य ने मृत बच्ची की तलाश की। रात लगभग 10.00 बजे, अपीलकर्ता की मिल के ठीक सामने स्थित कपड़ा दुकान के मालिक पीडब्लू-6 और उस क्षेत्र में सुरक्षा के लिए तैनात रात्रि चौकीदार (पीडब्लू-7) ने अपीलकर्ता को उस समय मिल को असामान्य रूप से खोलते हुए पाया। पूछताछ करने पर, अपीलकर्ता ने कहा कि चूंकि अगले दिन रमज़ान है, इसलिए उसने काम करने के लिए मिल खोली। रात लगभग 10.15 बजे, पीडब्लू-8, जिसका घर मिल के ठीक पीछे स्थित है, शौच के लिए आया और उसी समय उसने कुएं के किनारे से एक ध्वनि सुनी और उसने आरोपी को वहां पाया और उसने अपीलकर्ता से पूछताछ कि वह रात के समय वहां क्या कर रहा था। तब आरोपी ने बताया कि अगले दिन रमजान था इसलिए वह कूड़ा कुएं में फेंक रहा था। मृतक-बच्ची का शव पीडब्लू-4 को कुएं के अंदर मिला था और उसे देखकर, पीडब्लू 1 से लेकर 3 को सूचित किया। पीडब्लू-1, मृतक बच्चे

का पिता रेस्पोण्डेण्ट-पुलिस स्टेशन गया, जहां पुलिस उप-निरीक्षक पीडब्लू-20 ड्यूटी पर था। उन्होंने उपरोक्त उप-निरीक्षक पीडब्लू-20 को शिकायत (पूर्व-प्रदर्श पी1 के रूप में चिह्नित) दी, जिसके आधार पर, धारा 174 सआरपीसी के तहत एफआईआर संख्या 146/2005 के रूप में मामला दर्ज किया गया और यह प्रदर्श-P23 (FIR) न्यायालय को प्रेषित की गई। बच्ची के शव को कुएं से बाहर निकाला गया। घटना स्थल और शव की तस्वीर पीडब्लू-9 द्वारा खींची गई और उसे MO1 (श्रृंखला) के रूप में चिह्नित किया गया। इसके बाद शव को रामेश्वरम के सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस निरीक्षक, एफआईआर की प्रति प्राप्त होने पर, रामेश्वरम (पीडब्लू-22), सरकारी अस्पताल, रामेश्वरम गए और साक्षियों और पंचायतदारों की उपस्थिति में मृतक के शव पर जांच की। उन्होंने जांच रिपोर्ट प्रदर्श -P24 के रूप में तैयार की। फिर उन्होंने मृत बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर को प्रार्थना पत्र दिया. सरकारी अस्पताल, रामेश्वरम के डॉक्टर (पीडब्लू-15) ने अनुरोध प्राप्त होने पर, मृत बच्चे के शव का पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श-पी 8) जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मृत बच्चे की मृत्यु पोस्टमार्टम से 24 से 48 घंटों के भीतर हुई है और मृत्यु का कारण न्यूरोजेनिक सदमा था। अभियोजन पक्ष का आगे यह भी मामला था कि पीडब्लू-21 ने जांच शुरू की और गवाहों के बयान दर्ज किए। उन्होंने घटनास्थल पर जाकर गवाहों की उपस्थिति में निरीक्षण किया और अवलोकन महाज़ार (प्रदर्श -पी2) और रफ स्केच (प्रदर्श -पी25) तैयार किया। चिकित्सीय राय मिलने के बाद आरोपों को आईपीसी की धारा 376 और 302 में बदल दिया गया। प्रदर्श-पी26, संशोधित एफआईआर न्यायालय को प्रेषित की गई। दिनांक 9.11.2005 को, अपीलकर्ता को गवाहों की उपस्थिति में अनुसंधान अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया गया । अपीलकर्ता ने स्वेच्छा से अपराध की स्वेच्छा से स्वीकारोक्ति की, जिसे गवाहों की उपस्थिति में दर्ज किया गया, जिसके स्वीकार्य भाग को प्रदर्श-P3 के रूप में चिह्नित

किया गया था। इसके बाद, आरोपी अनुसंधान अधिकारी को मिल में ले गया और एमओ2 (शॉल) पेश किया, जो घटना के समय मृतक-बच्चे ने पहना था और उसे महज़ार की आड़ में बरामद किया गया था।

4. अपीलकर्ता ने उस स्थान की पहचान की जहां उसने अपराध किया था। फिर, अनुसंधान अधिकारी ने निरीक्षण किया और प्रदर्श-P5, अवलोकन महाज़ार और प्रदर्श.-P27, रफ स्केच तैयार किया। उसी के बाद, अपीलकर्ता को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया। सरकारी अस्पताल, रामनाथपुरम से जुड़े डॉक्टर पीडब्लू-14 ने उनकी चिकित्सकीय जांच की और आयु प्रमाण पत्र प्रदर्श-पी7 जारी किया। फिर, रामनाथपुरम, सरकारी अस्पताल से जुड़े डॉक्टर पीडब्लू-13 द्वारा अपीलकर्ता की चिकित्सकीय जांच की गई और उन्होंने प्रदर्श-पी6 जारी किया, जिसमें कहा गया कि अपीलकर्ता शक्तिशाली पाया गया है। घटनास्थल से और मृत बच्चे के शव से बरामद सभी भौतिक वस्तुओं के साथ-साथ अपीलकर्ता से बरामद की गई सभी भौतिक वस्तुओं को फोरेंसिक विज्ञान विभाग द्वारा रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था। प्रदर्श-P9, रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट और प्रदर्श-P22, Hyoid Bone रिपोर्ट प्राप्त हुई। पुलिस निरीक्षक (पीडब्लू-22) ने गवाहों के बयान दर्ज किये। जांच पूरी होने पर, जांच अधिकारी ने विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रकरण सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को कमिट किया गया और आवश्यक आरोप तय किए गए। अभियोजन पक्ष ने 22 साक्षियों का परीक्षण किया गया और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के पूरा होने पर 27 प्रदर्शनों और 4 भौतिक वस्तुओं पर भरोसा किया। अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में पाई गई आपत्तिजनक परिस्थितियों के संबंध में अपीलकर्ता से सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता के बयान लिये गये , जिसे उसके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर सबूतों की सराहना करते

हुए पाया कि अपीलकर्ता अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का दोषी है और उसे ऊपर बताए गए अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।

5. विद्वान विचारण न्यायाधीश के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच की डिवीजन बेंच के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें विभिन्न कानूनी तर्क प्रस्तुत किये गये और अपीलकर्ता के विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों की शुद्धता पर उसे दोषी माने जाने पर सवाल उठाया गया। उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की पुनः समीक्षा की और विचारण न्यायालय निर्णय में किसी भी तथ्यात्मक या विधिक पहलू में कोई कमी नहीं पाई और चुनौतीग्रस्त फैसला सुनाकर इसे बरकरार रखा। इस अपील में इसकी शुद्धता को निम्नलिखित आधारों पर आग्रह करते हुए और विधि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करते हुए चुनौती दी गई है।

6. अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष सीआरपीसी की धारा 174(1) और (2) के तहत आवश्यक आज्ञापक प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रहा है यानि सीआरपीसी की धारा 174(1) और धारा 174 (2) के तहत (मृत्यु पर उचित संदेह की) सूचना नहीं भेजना और निकटतम कार्यकारी मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट, जो प्रारंभिक जांच करने के लिए अधिकृत है और जांच एजेंसी की ओर से ऐसी सीआरपीसी की धारा 461 के तहत अनियमितताएं पूरी कार्यवाही को दूषित करती हैं वह नहीं भेजना। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एस. महेंद्रन ने राज कुमार सिंह बनाम राजस्थान राज्य [1] में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया, जिसमें एफआईआर में आरोपी का नाम न होना अभियोजन मामले के लिए घातक है। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, जिस पर ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ प्रथम अपीलीय अदालत ने रिकॉर्ड पर उक्त साक्ष्यों पर विचार करते हुए भरोसा किया

और अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए अपराधों के लिए दोषी ठहराया और सजा सुनाई। इसलिए, संदेह का लाभ अभियुक्त को उपलब्ध है जिसे अपनाया जाना चाहिए था और निचली अदालतों को बरी करने का आदेश पारित करना चाहिए था। उपरोक्त दलील के समर्थन में, उन्होंने बलदेव सिंह बनाम हरियाणा राज्य [2] के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया है और आगे तर्क दिया है कि अपीलकर्ता पर बलात्कार का पहला आरोप साबित नहीं हुआ है, इसलिये आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का आरोप अपने आप से टिका। मामले के इस पहलू पर निचली अदालतों द्वारा ठीक से विचार नहीं किया गया है। इसलिए, आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जा सकता है और इस तर्क के समर्थन में कि चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करते हैं और इसलिए, रघुनाथ बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के फैसले पर अधिक मजबूत निर्भरता रखी गई है इसलिये उचित संदेह का लाभ अपीलकर्ता के पक्ष में जाएगा। इस दलील के समर्थन में उन्होंने देविंदर सिंह एवं अन्य बनाम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य[4] मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा जताया है और अपीलकर्ता की ओर से आग्रह किया गया एक और कानूनी आधार यह है कि आपराधिक अदालत अग्राहय साक्ष्य को पहचानती और स्वीकार करती है, इसलिए, अग्राहय साक्ष्य को स्वीकार करने के अभाव में उसके खिलाफ दोनों आरोपों को साबित करने वाला निष्कर्ष कानून में गलत है। इसलिए, उक्त निष्कर्ष निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अलावा डॉक्टर (पीडब्लू-15) के साक्ष्य पर भरोसा किया गया, जिन्होंने कहा है कि मृत बच्चे पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई। इसलिए, न्यूरोजेनिक शॉक के कारण मृत्यु का प्रश्न पूरी तरह से अस्थिर है क्योंकि यह डॉक्टर के साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है।

7. आगे यह भी तर्क दिया गया है कि कुएं से मृत बच्चे के शव की कथित बरामदगी की चिकित्सा साक्ष्य के साथ सम्पुष्टि की जानी आवश्यक थी और इसे

अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किया गया है और इसके अलावा निचली अदालतों ने पीडब्लू-21 द्वारा किये गये अनुसंधान के संबंध में खुद को गलत दिशा में निर्देशित किया है और पी डब्लू -1, 2, 3, 5, 8 और 12 की साक्ष्य द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियां उन्नत संस्करण के अलावा और कुछ नहीं हैं। इसलिए, निचली अदालतों को उक्त सबूतों के आधार पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराने और सजा देने के लिए ऐसे सबूतों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था जो विधिक रूप से उचित नहीं है।

8. अभियोजन पक्ष का मामला है कि निचले न्यायाल डॉक्टर (पीडब्लू-15) के महत्वपूर्ण साक्ष्यों पर विचार करने में विफल रहे । साक्ष्य के मुख्य परीक्षा के दौरान डॉक्टर ने स्पष्ट कहा कि शरीर पर ऐसा कोई लक्षण नहीं है जो पानी में डूबने का संकेत देता हो और शरीर पर जो लक्षण पाया गया है वह त्वचा पर झुर्रियां पड़ना और पीला पड़ जाना आदि हो सकता है, इसलिए इस बात का जिक्र अपने सर्टिफिकेट में नहीं किया है। शरीर पर पाए गए रिगोर मोर्टिस का उल्लेख न करने के संबंध में उन्हें दिए गए सुझाव पर उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। हालाँकि, उन्होंने उत्तर दिया कि उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं किया है, लेकिन उन्होंने शरीर में पाए गए कठोर मोर्टिस के आधार पर मृत्यु के अनुमानित समय को स्वीकार किया और यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने शरीर पर पाए गए बाहरी चोटों का उल्लेख नहीं किया है। यह पता लगाने के लिए कि क्या वे पोस्टमार्टम के पूर्व या पश्चात की प्रकृति के थे उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आम तौर पर पहले सहवास में योनि भाग पर खरोंचें संभव होती हैं लेकिन इस मामले में वे सभी अनुपस्थित हैं। इसके अलावा, नीचे के न्यायालयों ने अर्थात् पुलिस द्वारा मृत बच्चे का पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर से की गई मांग के सबूतों को नजरअंदाज कर दिया। यहां तक कि पुलिस की मांग पर भी यह नहीं बताया गया कि यह दुष्कर्म और हत्या का मामला है। अभियोजन पक्ष के अनुसार कुएं में जो शव मिला, उसके कुएं के अंदर केवल पैर दिखाई दे रहे थे, यदि

ऐसा है तो खोपड़ी और अन्य अंगों पर निश्चित चोट होनी चाहिए थी, लेकिन इस मामले में ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सभी नदारद हैं जिससे कथित तौर पर कुएं से शव बरामद होने पर संदेह पैदा होता है।

9. इसके अलावा, निचली अदालतें अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य पर विचार करने में विफल रही हैं। पीडब्लू-21, जो इस मामले में आईओ है, ने अभियोजन पक्ष के साक्षियों के मध्य के कई अलग-अलग तथ्य पेश किए हैं, जिन पर निचले न्यायालयों ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए उक्त सबूतों के उचित विश्लेषण के बिना विश्वास कर लिया है। अनुसंधान अधिकारी के अनुसार, उन्होंने अपीलकर्ता को 9.11.2005 को अक्कलमदाम बस स्टॉप पर गिरफ्तार किया था, जो मिल में सह-श्रमिक पीडब्लू-12 के साक्ष्य के विरोधाभासी है, जिसने कहा था कि वह और अपीलकर्ता 4.11.2005 से पुलिस हिरासत में थे। बाद में, उसे अभियोजन पक्ष का गवाह माना गया। इसलिए, जैसा कि आईओ ने अपने साक्ष्य में कहा है, अपीलकर्ता की कथित गिरफ्तारी सही नहीं है और आगे यह कि अपीलकर्ता की सूचना पर, मृतक द्वारा पहनी गई कथित भौतिक वस्तु (शॉल) भी बरामद कर ली गई। हालाँकि, यह तथ्य और पहचान किसी भी साक्षी से उनके साक्ष्य के मुख्य परीक्षण के दौरान प्रकट नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस सब-इंस्पेक्टर से पूछताछ की जिसने 9.11.2005 को ही यानि घटना के पांच दिन बाद एफआईआर द र्ज की थी। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने शव को सबसे पहले सरकारी अस्पताल के शवगृह में देखा। हालाँकि, उन्होंने स्वीकार किया कि यदि शव को सीधे अस्पताल लाया जाता है, तो दुर्घटना रजिस्टर में विवरण दर्ज किया जाएगा और पुलिस स्टेशन को तत्काल सूचना दी जाएगी। मौजूदा मामले में अस्पताल प्राधिकारी द्वारा ऐसी किसी भी औपचारिकता का पालन नहीं किया गया है। जब PW-21 से प्रदर्श-P-21 में कॉलम नंबर 25 पर उल्लेख के संबंध में पूछताछ की गई, तो उसने स्वीकार किया कि "जूस लेने जाते समय किसी ने लड़की को घेर लिया और घर

के अंदर उसके साथ छेड़छाड़ की"। लेकिन, पोस्टमार्टम मांगपत्र में उन्होंने यह जांच कराने को नहीं कहा कि उसके साथ कोई दुष्कर्म हुआ है या नहीं। साथ ही, वह यह बताने की स्थिति में भी नहीं है कि उसने जांच कार्यवाही में इन विवरणों का उल्लेख कैसे किया है। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि नज़ीरदीन (पीडब्लू-8) ने कहा था कि उसने कुएं से शोर सुना था और अपीलकर्ता को रात 10.30 बजे मिल के पीछे की ओर जाते देखा था। संबंधित घर एक कमरे का घर है और उन्होंने न तो अपने अवलोकन महाज़ार में और न ही रफ स्केच में यह उल्लेख किया है कि "घर में कोई पिछवाड़े का प्रवेश द्वार, स्नानघर और शौचालय शामिल है"। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया है कि काथनजेन्ना (जिस पर कुएं के अंदर शव देखने का आरोप है) के घर में कोई पिछवाड़े में प्रवेश था। उन्होंने आगे यह भी स्वीकार किया था कि उन्होंने मिल के अंदर के बारे में कोई अवलोकन महाजार या कच्चा स्केच तैयार नहीं किया है। हालांकि उन्होंने अगल-बगल के दुकान मालिकों की जांच की लेकिन उन दुकानों को उनके निरीक्षण में नहीं दिखाया गया है। उनके द्वारा आगे कहा गया है कि पूछताछ के दौरान, पीडब्लू-1 ने यह नहीं बताया है कि उन्हें अपनी सास से कोई जानकारी नहीं मिली है।

10. इसके अलावा, नीचे की अदालतों ने पीडब्लू-3 के साक्ष्य पर विचार नहीं किया है जिसने अपनी दूसरी पूछताछ में कहा है कि उसकी पोती की चप्पल कैथून के घर के सामने मिली थी। कैथून जेना ने किसी भी पूछताछ में यह नहीं बताया है कि वह कुएं को ढक्कन से बंद करने गई थी जहां उसने कुएं के अंदर दो पैर देखे थे। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि विचारण न्यायालय ने अविश्वसनीय और असंगत परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ता के खिलाफ अपने निष्कर्ष दर्ज करने के लिए सबूतों की गलत सराहना की और आरोपों पर गलत निष्कर्ष निकाला। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि इस साधारण कारण से दर्ज की गई कि अपीलकर्ता ने

स्वीकार किया है कि उसने मृतक के साथ दुष्कर्म करने के बाद शव को कुएं के अंदर फेंक दिया था और इसकी पुष्टि करने के लिए जांच अधिकारी ने अपीलकर्ता की निशानदेही पर एक शॉल बरामद किया है जो कि तब तक स्वीकार्य नहीं है जब तक कि शॉल की बरामदगी अन्य ठोस साक्ष्य से साबित न हो जाए। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता की सजा अनुमानों और अटकल के आधार पर है, इसलिए, उसने अपने विरुद्ध की गई दोषसिद्धि और सजा को रद्द करने की प्रार्थना की है।

11. दूसरी ओर, विपक्षी-अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री एम.योगेश कन्ना ने दोनों विचारण और उच्च न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में सबूतों के उचित विश्लेषण और पुन: सराहना के बाद आरोपों पर निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों और कारणों को उचित ठहराने की मांग की है। उन्होंने राज कुमार सिंह (उपरोक्त) के फैसले पर भरोसा किया है जिसमें यह कहा गया है कि एफआईआर में आरोपी का नाम नहीं होने से अभियोजन का मामला दूषित नहीं होता और उन्होंने शॉल की बरामदगी के संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलकर्ता के इकबालिया बयान पर भी भरोसा किया है जिस तथ्य के बारे में PW-1 ने कहा है और उसने मृत्युंजय बिस्वास बनाम प्रणब अलियास कुटी बिस्वास और अन्य [5] तथा रामनरेश एवं अन्य। बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [6] के फैसले पर भरोसा जताया है जो कहता है कि एफआईआर में अपीलकर्ता का उल्लेख न करने से अभियोजन का मामला खराब नहीं होता है। मृतक को अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत पर आधारित बुधुराम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले के फैसले [7] पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप तय करने में नीचे के न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष और कारणों का समर्थन किया है।

12. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान अभियोजन के साक्ष्य की ओर आकर्षित किया है जो अपीलकर्ता की उम्र, संभोग के लिए उसकी क्षमता के संबंध में पीडब्लू-12 के साक्ष्य और पीडब्लू-15 के चिकित्सा साक्ष्य की रिकॉर्डिंग पर आधारित है जो स्थापित हआ है और इसके अलावा चिकित्सीय साक्ष्य, विशेष रूप से पीडब्लू-13 और पीडब्लू-15 द्वारा समर्थित मौखिक साक्ष्य अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर उसे दोषी ठहराए जाने और दी गई सजा को उचित ठहराते हैं। इसलिए, यह आग्रह किया गया है कि ऊपर उल्लिखित इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत की गई कानूनी तर्क अपीलकर्ता के मामले का समर्थन नहीं करते। इसलिए, अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने तथ्य की समवर्ती खोज में हस्तक्षेप न करने का आग्रह किया है जो रिकॉर्ड पर विधिक साक्ष्य के उचित पुनर्मूल्यांकन पर आधारित है। चिकित्सीय साक्ष्यों से भी यही बात प्रमाणित होती है। हालाँकि कुछ साक्ष्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं जो रिकॉर्ड पर मौजूद ठोस सबूतों द्वारा निचले न्यायालयों के निष्कर्ष से समर्थित हैं। इसलिए, विद्वान वकील ने अपीलकर्ता के खिलाफ दी गई दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करते हुए अपील को खारिज करने का अनुरोध किया है।

13. पक्षकारों की ओर से आग्रह की गई उपरोक्त प्रतिद्वंद्वी तर्कों के संदर्भ में, हमने अपीलकर्ता के विरुद्घ लगाए गए आरोपों पर दर्ज निष्कर्षों की सत्यता का पता लगाने के लिए रिकॉर्ड पर मौजूद सभी साक्ष्यों की बहुत सावधानी से जांच की है।

14. वर्तमान मामले में विचार के लिए तीन मुख्य बिंदु सामने आते हैं:

1. क्या एफआईआर में आरोपी का नाम न होना आरोपी के निर्दोष होने की ओर इशारा करता है और उसे बरी करने का हकदार बनाता है?

2. क्या वर्तमान मामला अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए अंतिम बार देखे गए सिद्धांत को लागू करने के लिए उपयुक्त मामला है?

3. क्या वर्तमान मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्त के होने अपराध की ओर इशारा करते हैं और क्या ये साक्ष्य अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं?

बिंदु क्रमांक का उत्तर. 1

15. हमारा आशय प्रत्येक बिन्दु को अलग से संबोधित करने का हैं और हम अपीलकर्ता/अभियुक्त के पहले तर्क से शुरू करते हैं कि उसका नाम पहली बार एफआईआर में नहीं आया था और उसके नाम का उल्लेख केवल पहले संस्करण का सुधार था। उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में यह उल्लेख किया गया है कि एफ.आई.आर.- प्रदर्श पी1 में शुरू में आरोपी के नाम का उल्लेख नहीं किया गया और दूसरी ओर, मृतक बच्चे के पिता पीडब्लू-1 ने अपराध के लिए अपने एक रिश्तेदार पर संदेह किया था। हालांकि, जांच के बाद पता चला कि आरोपी ने ही यह कृत्य किया था और पुलिस वास्तव में सही रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। साक्षियों की उपस्थिति में की गई अभियुक्त की स्वीकारोक्ति के आधार पर मृतक के शॉल की बरामदगी से अभियुक्त की संलिप्तता की पुष्टि हो गई है। हम उच्च न्यायालय के फैसले से सहमत होना चाहते हैं कि प्रारंभिक एफआईआर में नाम का उल्लेख न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है। इस न्यायालय द्वारा जितेंद्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य [8] के मामले में आयोजित किया गया है :-

> “16. जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, एफआईआर (प्रदर्श पी-2) ईश्वर सिंह, पीडब्लू 11 के बयान पर एएसआई हंस राज, पीडब्लू 13 द्वारा दर्ज की गई थी। यह सही है कि सज्जन सिंह के बेटे, आरोपी

जितेंद्र का नाम एफआईआर में पीडब्लू 11 द्वारा उल्लेख नहीं किया गया है। हालाँकि, विधि अच्छी तरह से स्थापित है कि केवल इसलिए कि किसी आरोपी का नाम एफआईआर में नहीं है, जरूरी नहीं कि उसे बरी कर दिया जाए। एक अभियुक्त जिसका नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन जिसे अपराध के किये जाने में एक निश्चित भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है और जब ऐसी भूमिका ठोस और विश्वसनीय सबूतों द्वारा स्थापित की जाती है और अभियोजन पक्ष भी अपना मामला साबित करने में सक्षम होता है तो उसे उचित संदेह से परे, दोषी पाए जाने पर विधि के अनुसार दंडित किया जा सकता है। एफआईआर में प्रत्येक चूक इतनी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती कि अभियोजन पक्ष के मामले के लिए असाधारण रूप से घातक हो। न्यायालयों द्वारा विभिन्न कारकों की जांच की जानी आवश्यक है, जिसमें सूचनाकर्ता की शारीरिक और मनःस्थिति, उचित विवेक वाले व्यक्ति का सामान्य व्यवहार और सूचनाकर्ता की ओर से किसी आरोपी को झूठा फंसाने के प्रयास की संभावना शामिल है। न्यायालय को इन पहलुओं की सावधानी से जांच करनी होगी। इसके अलावा, न्यायालय को तय सिद्धांतों के प्रकाश में ऐसी चुनौतियों की जांच करने की आवश्यकता है, साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्या आरोपी का नाम बाद में या पहले संभावित अवसर पर प्रकाश में लाया गया था।

17. न्यायालय अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी को दी गई भूमिका की भी जांच करेगी। हो सकता है कि सूचना देने वाले ने एफआईआर में किसी विशेष आरोपी का नाम नहीं लिया हो, लेकिन कुछ अन्य गवाहों

द्वारा जल्द से जल्द ऐसे नाम का खुलासा किया गया होगा और यदि ऐसे आरोपी की भूमिका स्थापित हो जाती है, तो एफआईआर में ऐसी चूक के कारण संतुलन आरोपी के पक्ष में नहीं झुक सकता है।

18. अदालत को इस तथ्य पर भी विचार करना होगा कि एफआईआर का मुख्य उद्देश्य पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध के बारे में संतुष्ट करना है ताकि वह विधि अनुसार आगे का अनुसंधान कर सके। प्राथमिक उद्देश्य आपराधिक कानून को गति प्रदान करना है और हर बार यह सम्भावना नहीं हो सकती कि एफआईआर में अचूक सटीकता के साथ हर मिनट का विवरण दिया जा सके । एफआईआर स्वयं किसी मामले का सबूत नहीं है, बल्कि सबूत का एक टुकड़ा है जिसका उपयोग अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि के लिए किया जा सकता है। एफआईआर को उन सभी तथ्यों और परिस्थितियों का विश्वकोश होने की आवश्यकता नहीं है जिन पर अभियोजन भरोसा करता है। इसमें केवल मूल मामला बताना होता है। प्रत्येक मामले की उपस्थित परिस्थितियों का किसी भी स्थिति में ऐसे सिद्धांतों के अनुप्रयोग पर काफी प्रभाव पड़ेगा। इस संबंध में यूपी राज्य बनाम कृष्णा मास्टर और रणजीत सिंह बनाम एमपी राज्य का संदर्भ दिया जा सकता है।"

इसलिए, अपीलकर्ता का यह तर्क कि चूंकि उसका नाम एफआईआर में नहीं आया है, वह बरी होने का हकदार है, यह सुनवाई योग्य नहीं है। तदनुसार, हम इस बिंदु का उत्तर रेस्पोण्डेण्ट के पक्ष में देते हैं।

बिंदु क्रमांक 2 का उत्तर

16. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि पीडब्लू 3, अभियुक्त की दादी ने बच्चे को यह देखने के लिए भेजा था कि आटा पिस गया है या नहीं। हालाँकि, जब बच्चा कुछ देर तक वापस नहीं आया, तो पीडब्लू 3 घर चली गई । इस समय, पीडब्लू 5 और पीडब्लू 12 जो कि आरोपी के अधीन कर्मचारी थे उनके माध्यम से साक्ष्य है कि आरोपी बच्चे को पिछवाड़े में ले गया था, और उसने असामान्य रूप से पीडब्लू 12 को दोपहर के भोजन के लिए जाने की अनुमति दी थी। इसके अलावा, आरोपी 8 साल के बच्चे को पिछवाड़े में ले जाने की जरूरत भी नहीं बता सका। अंतिम देखे गए सिद्धांत के इस पहलू में, इस न्यायालय द्वारा कुसुमा अंकमा राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [9] के मामले में इसे निम्नानुसार माना गया है:

> "10. जहां तक अन्तिम बार साथ देखे जाने वाले पहलू की बात है तो इस कोर्ट के दो फैसलों पर गौर करना जरूरी है. यूपी राज्य बनाम सतीश में इसे इस प्रकार नोट किया गया था: (एससीसी पृष्ठ 123, पैरा 22) "
>
> "22 <u>अंतिम-देखा गया सिद्धांत तब चलन में आता है जब आरोपी और मृतक को आखिरी बार जीवित और साथ देखा गया था और जब मृतक मृत पाया गया था उन दोनों बिंदुओं के मध्य का समय अंतराल इतना कम है कि आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अपराध के किये जाने की संभावना असंभव हो जाती है।</u> कुछ मामलों में जब लंबा समय अंतराल हो और बीच में अन्य व्यक्तियों के आने की संभावना मौजूद हो तब यह सकारात्मक रूप से स्थापित करना मुश्किल होगा कि मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था । यह निष्कर्ष निकालने के लिए किसी अन्य सकारात्मक सबूत के अभाव में कि आरोपी और मृतक को आखिरी बार एक साथ देखा गया

> था, उन मामलों में अपराध के निष्कर्ष पर आना खतरनाक होगा। इस मामले में पीडब्लू 2 के साक्ष्य के अलावा, सकारात्मक सबूत हैं कि मृतक और आरोपी को गवाहों पीडब्लू 3 और 5 द्वारा एक साथ देखा गया था। (इस न्यायालय द्वारा जोर दिया गया)
>
> रामरेड्डी राजेश खन्ना रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में इस प्रकार नोट किया गया: (एससीसी पृष्ठ 181, पैरा 27)
>
> "27. इसके अलावा, आखिरी बार देखा गया सिद्धांत वहां चलन में आता है, जहां उस समय के बीच का समय अंतराल जब आरोपी और मृतक को आखिरी बार जीवित देखा गया था और मृतक मृत पाया गया था, इतना कम है कि आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अपराध का लेखक होने की संभावना असंभव हो जाती है। यहां तक कि ऐसे मामले में भी अदालतों को कुछ पुष्टि की तलाश करनी चाहिए।"

मौजूदा मामले में, मृत बच्चे को आरोपी मिल के पिछवाड़े में ले गया था और उसे पीडब्लू 5 और पीडब्लू 12 ने देखा था। मृत बच्चा तब से लापता हो गया और अगली सुबह मृत पाया गया। आरोपी ने यह नहीं बताया कि वह बच्चे को पिछवाड़े में क्यों ले गया। दूसरी ओर, उसने अपने अपराध की स्वीकारोक्ति कर ली है जिसकी पुष्टि गवाहों की उपस्थिति में आरोपी की निशानदेही पर एक शॉल की बरामदगी से हुई है। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के आलोक में, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी को मृत बच्ची के बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराना उचित था। हम तदनुसार इस बिंदु का उत्तर प्रतिवादी के पक्ष में देते हैं।

बिंदु क्रमांक का उत्तर 3

17. घटना वाली दिनांक को रात्रि लगभग 10:00 बजे अभियुक्त ने मिल को विषम समय में असामान्य रूप से खोला था। यही बात पीडब्लू 6, कपड़ा दुकान के मालिक, जिसकी दुकान मिल के सामने स्थित थी, और पीडब्लू 7, जो रात का चौकीदार था, उन्होंने भी देखा था। दोनों ने आरोपी से इस असामान्य व्यवहार के बारे में पूछताछ की थी, जिस पर उसने जवाब दिया था कि चूंकि अगले दिन रमजान है, इसलिए वह आटा पीसने आया है। एक और मजबूत परिस्थिति पीडब्लू 8 की साक्ष्य थी जिसका घर मिल के ठीक पीछे स्थित है। रात 10:15 बजे जब पीडब्लू 8 शौच के लिए बाहर आया, तो उसने मिल के पीछे स्थित कुएं से आवाज सुनी और आरोपी को मिल की ओर आगे बढ़ते हुए देखा, उसने आरोपी को रोका और पूछा कि वह क्या कर रहा था है? इस पर आरोपी ने जवाब दिया कि अगले दिन रमजान होने से आरोपी कुएं में कूड़ा फेंक रहा है। चूंकि अगले दिन कुएं से शव बरामद हुआ था, इसलिए यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पिछली रात बच्चे के शव को कुएं में फेंकने के सम्बन्ध में आरोपी की संलिप्तता की ओर इशारा कर रहे हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय का यह मानना उचित है कि अपीलकर्ता/अभियुक्त ने शव को मिल में रखा था और लगभग 10:15 बजे रात में शव को कुएं में फेंक दिया था।

18. यह सच है कि वर्तमान मामले में, कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है जो साबित करता हो कि मृत बच्चे का बलात्कार और हत्या अपीलकर्ता द्वारा की गई थी। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्षी उपलब्ध नहीं है जिसने अपीलकर्ता को अपराध करते हुए देखने की साक्ष्य दी हो। हालाँकि, सभी परिस्थितियाँ वर्तमान मामले में अपीलकर्ता को अपराध का लेखक होने की ओर इशारा करती हैं। गोविंदा रेड्डी व अन्य बनाम मैसूर राज्य [10] के मामले में इस न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नानुसार यह व्यवस्था दी है :

"5. इस न्यायालय द्वारा हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1 में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मूल्यांकन का तरीका बताया गया है और यह इस प्रकार है:

"यह याद रखना अच्छा है कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, वहां जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, पहली बार में, पूरी तरह से स्थापित होना चाहिए, और इस प्रकार स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने परिकल्पना के साथ सुसंगत होने चाहिए। पुनः,परिस्थितियाँ निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए जो सिद्ध होने के लिए प्रस्तावित परिकल्पना को छोड़कर प्रत्येक परिकल्पना को बाहर कर दें। दूसरे शब्दों में, साक्ष्यों की एक श्रृंखला पूरी होनी चाहिए ताकि आरोपी के निर्दोष होने की सम्भावना के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोडे और यह ऐसा होना चाहिए जो यह दिखाए कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अभियुक्त द्वारा ही वह कार्य किया गया होगा।"

19. पुनः, वर्तमान मामले में, मृत बच्चे के शव की उसी कुएं से बरामदगी जहां पीडब्लू-8 ने पिछली रात आरोपी अपीलकर्ता को कुएं में कुछ फेंकते देखा था, एक मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रदान करता है। मृत बच्चे को मिल के पिछवाड़े में ले जाना, उसी समय अपने कर्मचारी को दोपहर के भोजन के लिए भेजना और उसी शाम रात के विषम समय में मिल खोलना, अभियुक्त का असामान्य व्यवहार उसके दोषी होने की ओर इशारा करते हैं । हम इस बिंदु का उत्तर रेस्पोण्डेण्ट के पक्ष में देते हैं।

20. चूंकि, सभी बिंदुओं का उत्तर रेस्पोण्डेण्ट के पक्ष में दिया गया है, इसिलये हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय ने मृत बच्चे के बलात्कार और हत्या के आरोपी को दोषी ठहराने में सत्र न्यायाधीश के फैसले को जो बरकरार रखा था वही सही था। इसलिए, हम उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हैं और मानते हैं कि अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 302 और 201 के तहत आरोप साबित होते हैं। उन्हें धारा 376 के तहत आजीवन कारावास और 5000/- रुपये का जुर्माना एवं डिफ़ॉल्ट पर एक वर्ष का कठोर कारावास, धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5000/- रुपये का जुर्माना एवं डिफ़ॉल्ट पर एक वर्ष का कठोर कारावास और आईपीसी की धारा धारा 201 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/- रूपये का जुर्माना तथा डिफ़ॉल्ट पर छह माह का कठोर कारावास सुनिश्चित किया गया है। सभी सजाएं एक साथ चलनी हैं। तदनुसार, अपील खारिज की जाती है क्योंकि इसमें कोई योग्यता नहीं है।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नीरज कुमार भारद्वाज (आरजेएस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी व्यावहारिक और प्रामाणिक उद्देश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।